न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-4, उन्नाव।

उपस्थित–रत्नेश दीप कमल आनन्द, (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा J-O-Code UP1787)

सरकार बनाम रामप्रताप आदि।

मु०अ०सं०-16/2021
मु०नं०-65/2022
धारा-447 भा०दं०सं०
थाना-असोहा, जनपद-उन्नाव।

दिनांक-03.12.2024

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । पुकार कराई गई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **प्रताप शंकर उर्फ रामप्रताप** व **कान्ती देवी उर्फ गुड्डी** ने जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र दिनांकित 03.12.2024 बाबत जुर्म इकबाल प्रस्तुत कर कथन किया है कि, प्रार्थीगण उक्त वाद में अभियुक्त है। प्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है। प्रार्थीगण अपना मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसी दशा में प्रार्थीगण का जुर्म इकबाल के आधार पर कम से कम अर्थदण्ड से अधिरोपित करते हुयए मुकदमा निर्णीत किया जाना आवश्यक है। अतः जुर्म इकबाल के आधार पर कम से कम अर्थदण्ड से अधिरोपित करते हुये मुकदमा निर्णीत किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्तगण की ओर से स्वेच्छा से अपराध की संस्वीकृति का कथन किया गया है। अभियुक्तगण के अपराध संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **प्रताप शंकर उर्फ रामप्रताप** व **कान्ती देवी उर्फ गुड्डी** को **मु०अ०सं०-16/2021, मु०नं०-65/2022** अन्तर्गत **धारा-447 भा०दं०सं०** में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक को 500-500/-रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त सात दिन का साधारण कारावास तथा न्यायालय उठने तक की सजा व्यतीत करेगा। अभियुक्तगण के प्रतिभू को उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल-दफ्तर हो।

दिनांक–03.12.2024

(रत्नेश दीप कमल आनन्द)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या-4, उन्नाव।
जे०ओ०कोड-यूपी 1787

Digitally signed by RATNESH DEEP KAMAL ANAND
Date: 2024.12.03 16:21:17 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court